ORIGINAL RESEARCH PAPER

Education

KEY WORDS: पितृसत्तात्मक व्यवस्था, सशक्तिकरण, सरोकार, वर्चस्व, संरक्षण आदि।

महिला सशक्तिकरण : विविध आयाम

पुनिका भादू (पी.एच.डी. शोधार्थी), शिक्षा विभाग, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान.

डॉ. राजेन्द्र जाखड (शोध निर्देशक), शिक्षा विभाग, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान.

ABSTRACT

महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारम्परिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है वैश्विक स्तर पर नारीवादी आन्दोलनों और 'यूएनडीपी' आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है महिला सशक्तिकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।

'1990' के दशक में महिला अधिकारिता यानी सशक्तिकरण पर जोर देने के साथ ही यह प्रयास भी किया गया कि महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होकर नीति निर्माण के स्तर पर भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। वस्तुतः महिला सशक्तिकरण का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं की अपने आपको संगठित करने की क्षमता भी बढ़ती तथा सदृढ़ होती है।

प्रस्तावना –

सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि 'सशक्तिकरण' क्या है? 'सशक्तिकरण' का तात्पर्य है 'शक्तिशाली' बनाना। सशक्तिकरण को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असमानताओं से पैदा हुई समस्याओं से निपटने के रूप में देखा जा सकता है। इसमें जागरूकता, अधिकार एव हकों को जानने, सहभागिता, निर्णयन जैसे घटकों को लिया जाता है अब हम महिला सशक्तिकरण को पैलिनीयूराई के शब्दों में देखते है –

''महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरूषों के बराबर मान्यता दी जाती है।'' महिलाओं के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का कथन है कि भारतीय नारी श्रम से नहीं घबराती किन्तु आंसुओं की चिन्ता करते हुए वह रोटी, असमान व्यवहार, शोषण से अवश्य डरती है इसमें बाबा साहेब ने महिलाओं की वास्तविक वेदना को मुखरित किया है महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता बहुआयामी है यह कोई पुरूष निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष विमर्श है और इसके लिए पुरूषों को भी आगे आना होगा। महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका है यह महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है। क्योंकि महिलाओं के शिक्षित होने पर जागरूकता, चेतना आएगी। अधिकारों की सजगता होगी। '1997' में महिला समलैंगिकता पर बनी भारत की पहली फिल्म 'फायर' हिन्दू कट्टरपंथियों के निशाने पर आई। यह फिल्म महिलाओं की यौन इच्छाओं से संबंधित अभिव्यक्ति मानी गई। '1999' में उच्चतम न्यायालय ने फैसला देते हुए यह कहा कि कार्य–श्रेत्र में यौन उत्पीड़न को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया जाए। इसमें भद्दे इशारे भी यौन उत्पीड़न के दायरे में शामिल किए गए। '2005' में उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश द्वारा परित्यकता पत्नी को संपत्ति पर अधिकार जताने का अधिकार प्रदान किया। इस तरह आज पैतृक संपत्ति के अलावा पिता की संपत्ति में भी लड़की का बराबर हिस्सा होने लगा है। इतने सारे कानून बने हैं– स्त्री की भलाई के लिए। इसके बावजूद स्त्रियों में जागरूकता के अभाव में तथा लम्बी न्याय–प्रक्रिया के कारण स्त्रियां प्रायः अपने हित में लागू कानून का फायदा नहीं उठा पाती ।

भारतीय संविधान सर्वप्रथम इस बात को निश्चित करने का प्रयास करता है कि पुरूष एवं महिला के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। संविधान जानता है कि महिलाओं के साथ समाज में बुरा व्यवहार किया जाता है इसे लेकर ही संविधान राज्य को अनुमति देता है कि महिलाओं की भलाई के लिए कुछ विशेष उपबंध बनाए जाएं। संविधान इस बात की आशा करता है कि राज्य महिलाओं के साथ हो रहे शोषण को रोकने का प्रयास करेगा। संविधान का 14वां अनुच्छेद बताता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद–15;1द्ध यह बताता है कि भारत राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर किसी नागरिक के विरूद्ध असमानता का व्यवहार नहीं करेगा। अनुच्छेद–15;3द्ध के तहत बताया गया है कि राज्यों को महिलाओं के लाभार्थ विशेष उपबंध बनाने की स्वीकृति है। अनुच्छेद– 39;बद्ध के अन्तर्गत कहा गया है कि पुरूषों और महिलाओं को समान कार्य करने के लिए समान वेतन मिलेगा। अनुच्छेद–15;अद्ध;इद्ध बताता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह पुनीत कर्त्तव्य होगा कि वह उन प्रथाओं का परित्याग करे जो महिला के सम्मान के विरूद्ध है। कुछ कानून ऐसे भी है जो महिलाओं का पक्ष लेते हुए विशेष उपबन्ध बनाते हैं :– 1. विशेष विवाह अधिनियम की धारा–6 गुजारे भत्ते के आदेश केवल पत्नी के पक्ष में देती है। इसकी वैधता को स्वीकार कर लिया गया है। 2. महिलाओं को जार–कर्म (पर–पुरूष के साथ शारीरिक संबंध) की सजा देने से मुक्त रखा गया है। 3. अपराधिक प्रक्रिया की संहिता में इस प्रकार के प्रावधान उपलब्ध है जो महिलाओं को जमानत पर रिहा होने के विशेष अधिकार देते है इन्हें भी वैध करार दिया गया है। 4. दिवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी परिवार की महिला सदस्य के नाम से सम्मन जारी नहीं किया जा सकता। इस रियायत को भी न्यायालय को वैध घोषित कर दिया है। 5. इसी प्रकार शैक्षिक संस्थाओं ने भी महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान का सही पाया है। इस तरह 'स्त्री जागृति' का शब्द कानून का सहारा पाकर विस्तार पा चुका है आजकल जागृति, कल्याण आदि की बजाय 'सशक्तता' शब्द प्रचलन में है। नारी–सशक्तता एक आन्दोलन का रूप ले चुका है। इसी आन्दोलन को संवैधानिक एवं कानूनी गति प्रदान करने के लिए 31 जनवरी 1992 में 'राष्ट्रीय महिला आयोग' का गठन किया गया। यह आयोग राष्ट्रीय महिला अयोग अधिनियम–1990 के दायरे में रहकर महिला कल्याण हेतु कार्य करने में तत्पर है। इस आयोग का कार्य महिलाओं के हितों की रक्षा करना है इस अधिनियम द्वारा यह बाध्य किया जाता है कि सरकार महिला–संबंधी हर मुद्दे पर अयोग से सलाह–मशवरा करें तथा इसकी सभी सिफारिशों को संसद के सामने रखे। इसके अतिरिक्त महिलाओं के हित में कई गैर–सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। बौद्धिक स्तर पर दार्शनिकों, चिंतकों, बुद्धिजीवियों ने अपनी उक्तियों, टिप्पणियों व सिद्धान्तों के माध्यम से महिला को दो नंबरी सिद्ध करने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ी। ऊपर से धर्मिक प्रवक्ताओं ने तरह–तरह के फतवें, निषेधाज्ञाएं व टैबू जारी कर उन्हें इतना भयभीत किए रखा कि वह इस भय से उबर न सकें। जब भी किसी स्त्री ने यह प्रयास किया, वह मारी गई या कुलटा, डायन, व्यभिचारिणी, बदचलन, छिनाल ठहरा दी गई। इसी दौरान नारी को हाशिये से मुखपृष्ठ की ओर आते देख समाज के मन में एक भय सा बैठ जाता है कि 'नारी सशक्तिकरण' घर तोड़ने वाला आन्दोलन न बन बैठे। महिलाओं को अपने प्रति हो रहे अन्याय को खत्म करना है। वह घर और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती है और जिन्दगी भर निभाती है लेकिन इसके बदले उसे प्यार की जगह प्रताड़ना मिले तो यह सहन न होगा। वह बस यही चाहती है कि जीवन में उसे कभी यह अहसास न दिलाया जाए कि औरत बनकर जीने से अच्छा है कि, वह मर जाए। स्त्री जुल्म सहने के लिए ही पैदा हुई है इस अहसास को जड़ से मिटाना है। आपसी बहनापा, ठोस विचार और सशक्त कार्य–शैली एक दिन अवश्य स्त्री को उसका स्थान दिलाकर रहेगी इसी आशा के साथ हाथ को हाथ सुझाई न दे बात को बात सुनाई न दे, सगड़ी तुम जुड़ जाना सखी री, राह जब कोई दिखाई न दे'। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता हमारी पूरी सभ्यता मनुष्य के विकास के साथ–साथ स्त्री की गुलामी के विकास का भी दस्तावेज है। घरेलू हिंसा कानून ने भारतीय नारी को इस गुलामी से बाहर निकालने का एक बेहतरीन अवसर दिया है, मगर यह बहुत कुछ उसकी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करता है उसे कुछ ज्यादा ही जागरूक होने की आवश्यकता है जब तक वह परिवार और समाज की चेतनाशील नागरिक बनने का प्रयास नहीं करेगी, अपने पर होने वाली हिंसा से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। हर हाल में स्त्री को यह

समझना होगा कि मनुष्य होने के नाते पहले वह समाज की अनिवार्य इकाई भी है उसे अपने आप में यह अहसास भी जगाना होगा कि वह स्त्री ही नहीं, इस देश की सम्मानित नागरिक भी है। पुरूषों की मानसिकता को बदलना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है स्वयं औरत की पुरूष दृष्टि बदलाव हमेशा से एक लम्बी प्रक्रिया रही है किसी समाज को बदलना इतना आसान नहीं, पर यह भी सत्य है कि स्वयं में बदलाव लाकर समाज को भी बदलने पर मजबूर किया जा सकता है। सोना देखा, चाँदी देखी हीरा देखा, मोतियों की मालाएं देखी, फिर चाहे हो जितना फेरबदल जमाने में सीता और द्रोपदी जैसी, कहानियाँ नहीं देखी।। महिला सशक्तिकरण के विविध या आयाम सामाजिक सशक्तिकरण भारतीय वाघ्मय में स्त्री की छवि देवी के रूप में और शक्ति के रूप में दिखायी गयी हैं। भारतीय नारीवादी विचारधारा परम्पराओं और पारिवारिक भावनात्मक सम्बन्धों से अपने को पूर्ण रूप से मुक्त कर देना नहीं चाहती। भारत की अपनी सांस्कृतिक दृष्टि है, जीवन दृष्टि है यहाँ हमने स्त्री को देवी का रूप तो दिया परन्तु जिन्दगी का यथार्थ यह है कि अक्सर वह देवी नहीं दासी बनकर जीती है स्त्री की माँग यह है कि उसे सिर्फ दिल और दिमाग रखने वाली मानवी समझा जाए। यह सच है कि भारतीय नारीवादी दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक समाज द्वारा स्थापित कई मूल्यों को चुनौती देता है लेकिन मातृत्व, वात्सल्य और पारिवारिक रिश्तों नातों के मूल्यों का आदर करता है। औरत को सशक्त बनाने की जरूरत क्यों पडी? यह प्रश्न बार–बार स्त्री के मन में उठता है दरअसल स्त्री को जान लेना चाहिए कि शिक्षा और ज्ञान की सम्पूर्ण व्यवस्था पितृसत्तात्मक है इसी शिक्षा को हथियार बनाकर स्त्री को ताकत हासिल करने की आवश्यकता है ताकत हासिल किए बगैर उसका विकास कभी नहीं हो पाएगा। स्त्री को पुरूषों की तरह ही सभी संसाधनों पर अपना समान नियन्त्रण रखना होगा। ये संसाधन है– भौतिक, मानवीय, बौद्धिक, आर्थिक। स्त्री को अब स्वयं मूल्यों को तय करने की शक्ति सीखनी होगी। उसे निर्णय लेना सीखना होगा। उसे संसाधनों का उपयुक्त उपयोग करना सीखना होगा उसे स्त्रियोचित गुण बरकरार रखते हुए बौद्धिकतापूर्ण कार्य करके स्वयं को सिद्ध करना है अपने दोषों को दूर करके, एक–दूसरे का साथ देकर सशक्तता की लहर को फैलाना होगा। स्त्रियों को जो अधिकार हासिल नहीं है उन्हें उसे प्राप्त करना ही होगा जैसे :– घर–बार पर नियन्त्रण, अपने शरीर पर हक, आने–जाने की छूट, अपनी कोख पर हक बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी में उनके पिता का साथ, घर की आमदनी पर हक, पुरूषों की बेडियों को तोड़ना इत्यादि। यह बात समझ लेनी चाहिए कि जब एक या दो स्त्रियाँ परम्पराओं को तोड़ने का प्रयास करती है तो उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिलती, पर जब स्त्रियों का पूरा समूह विरोध पर उतर जाता है तो समाज को उनके आगे झुकना पड़ता है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्त्री पुरूष सम्बन्ध के सम्यक स्वरूप पर श्री बुद्ध ने बल दिया था। सन् 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून लागू हो गया। ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज के आन्दोलनों के परिणामस्वरूप स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ और स्त्री के खिलाफ की जाने वाली, कुरीतियों पर रोक लग गयी। विधवा विवाह और अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिला। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले और सावित्री फूले ने स्त्रियों को शिक्षित करने और उनकों सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आन्दोलन शुरू किए। स्वामी विवेकानन्द ने मातृत्व को स्त्रीत्व की पहचान बताया।

'देश को स्वतंत्र हुए 7 दशक चुके हैं और देश ने परिवर्तन के कई नये आयामों को स्थापित किया है नागरिकों को मिले समान–अधिकारों के साथ ही भारतीय महिलाओं को भी शिक्षा सम्पत्ति और विरासत में बराबरी का अधिकार हैं लेकिन इन सबके बावजूद महिलाओं के लिए देश के राजनीतिक मानचित्र पर अभी भी बहुत कुछ नहीं बदला है राजनीति में बराबरी के अधिकार से वंचित है' मेरा मानना है कि भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण को लेकर गौरवान्वित महसूस करने में अभी भी लम्बे समय तक इंतजार करना होगा। आधी आबादी को अपना अधिकार कब मिलेगा? महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के दावे तो सभी दलों ने किए हैं, पर क्या संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो वर्तमान में संसद में महिलाओं को प्रतिनिधित्व भी बमुश्किल मिला है यदि संसद में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिल जाए तो 180 महिलाएँ चुनकर आ सकती है जो कि भारतीय राजनीति ने सकारात्मक भूमिका अदा कर बदलाव कर सकती है। आर्थिक सशक्तिकरण स्त्री की कद्र करनी चाहिए। किसी बाहरी शक्ति का मुँह जोहने की बजाय अपने आसपास की महिलाओं को संगठित करके इस मुहिम को शक्ति प्रदान करनी होगी।

नारी सशक्तिकरण के मार्ग में बाधाएँ –

- जब तक एक धर्म विशेष में पुरुष को कानूनी रूप से 3 शादियाँ करने का अधिकार भी पुरुष के पास रहेगा।
- जब तक हर मन्दिर में औरतों को जाने का अधिकार नहीं मिल जाता।
- जब तक बेटे द्वारा मुखाग्नि दिए बिना पिता की सद्गति नहीं होती वाला संस्कार खत्म नहीं हो जाता।
- जब तक सास बहु में दुश्मनी रहेगी।
- जब तक माँ स्वयं कन्या भ्रूण हत्या में भागीदार रहेगी।
- जब तक महिलायें पुरुष में एक मिश्र साथी की बजाय एक पालन हारा या सुरक्षा गार्ड देखती रहेगी, तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता।

सशक्तिकरण के मार्ग में आई बाधओं को दूर करने के उपाय –

- स्त्री को यौन–शुचिता और नैतिकता से मुक्ति अर्थात धर्मशास्त्रों ने जहाँ एक तरफ स्त्री की देह जो पुरूष के लिए वर्जित क्षेत्र बनाकर शुचिता से जोड़ कर उस पर प्रतिबंध थोप दिए हैं वही उसे पाप, अपराध व शैतानियत तथा नफरत का पर्याय भी घोषित कर रखा है जैसे ही किसी ने छुआ कि वह मैली हुई, जैसे कि वह कोई कपड़ा हो या चीज हो, स्त्री को देह की इसी शुचिता से मुक्ति चाहिए।
- स्त्री–देह को व्यभिचार से न जोड़ा जाए अपितु मनुष्य होने के नाते समाज को उसे एक सभ्य नागरिक होने की छवि से विभूषित किया जाए।
- स्त्री देह के अधिकार का दायरा विकसित करने की जरूरत जिसके महत उसे स्वयं निर्णय लेने की आजादी हो, जो न जांचे उसे नकारने की इजाजत हो, इंकार करने का अधिकार हो।
- स्त्री स्वतत्रंता के लिए पुरूष मानसिकता में भी बदलाव जरूरी है।
- न्यू टेक्नोलॉजी और विज्ञान स्त्री को मुक्त करते है खासकर शारीरिक श्रम वाले रोजगार से, वही स्त्री को कुछ हद तक अंधविश्वासों तथा भारी भरकम कामों से मुक्त भी किया है।
- स्त्री सशक्तिकरण 'स्व' का निर्माण करता है, शुचिता का नहीं आज की स्त्री के चिन्तन का विषय यौन–शुचिता नहीं, बल्कि अपने सेल्फ के निर्माण और विकास की जरूरत का मुद्दा है।

सन्दर्भ

1. पैलिनी थूराई, जी., इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन, जनवरी–मार्च 2001, पृ. 39
2. लवानिया, एम.एम., भारतीयों महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिशर्स, जयपुर, 2004
3. स्त्री मुक्ति : संघर्ष और इतिहास– रमणिका गुप्ता प्रकाशक सामाजिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण– 2014, पृ.सं. 104, 105, 106.
4. महिला सशक्तिकरण की राजनीतिक अवधरणा
5. स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास– रमणिका, गुप्ता प्रकाशक – सामाजिक प्रकाशन, नई दिल्ली–110002, संस्करण– 2014.
6. स्त्री विमर्श : भारतीय परिप्रेक्ष्य, डॉ. के. एम. मालती प्रकाशक ;वाणी प्रकाशन– नई दिल्ली–110002, संस्करण–2010, पृ. 27, 74.
7. भारतीय नारीवाद की अवधरणा नारीवाद, राजनीति संघर्ष सम्पादक, साधना आर्य निवेदिता मेनन, एवं मुद्दे, जिनी लोकनीता, पृ. 153, 154, 155, 156.